जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व (अनुपूरक) अधिनियम, 1968

(1968 का अधिनियम संख्यांक 3)

[23 मार्च, 1968]

जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 को अनुपूरित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्नीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :---

1. संक्षिप्त नाम और प्रारभ---(1) यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व (अनुपूरक) अधिनियम, 1968 कहा जा सकेगा ।

(2) यह 1968 की फरवरी के नवें दिन को प्रवृत्त हो गया समझा जाएगा ।

2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धाराओं 116क, 116ख, और 116ग का जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा किए गए आदेशों को लागू होना---लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धाराओं 116क, 116ख, और 116ग के उपबंन्ध जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा किए गए हर आदेश को निम्नलिखित उपांतरों के साथ यावत्शक्य लागू होंगे, अर्थात् :---

(क) उसमें के उच्च न्यायालय के प्रति निर्देशों का अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा कि उनके अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के प्रति निर्देश आते हैं ;

(ख) उसमें के राज्य विधान-मंडल के प्रति या उसके अध्यक्ष या सभापति के प्रति निर्देशों का अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा कि उनके अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के विधान-मंडल के प्रति और उसके अध्यक्ष या सभापति के प्रति निर्देश आते हैं ; तथा

(ग) उसमें के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) के उपबंन्धों के प्रति निर्देशों का जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में इस प्रकार अर्थ लगाया जाएगा कि वे जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 (1957 का जम्मू-कश्मीर अधिनियम सं0 4) के तत्स्थानी उपबन्धों के प्रति निर्देश हैं ।

3. निरसन और व्यावृत्ति---(1) जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन आफ दि पीपुल (सप्लीमेंट) आर्डिनेंस, 1968 (1968 का आर्डिनेंस 2) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, यह है कि उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी ।